HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12947/2026
CNR: RJHC020783922026 | URN: CRLMB / 23888U / 2026

Aarti D/o Chaganlal, Aged About 26 Years, R/o Mundra, Tehsil Sujangarh, Distt. Churu.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14224/2026
CNR: RJHC020868212026 | URN: CRLMB / 26230U / 2026

Vikas S/o Vidhyadhar Khedar, Aged About 27 Years, R/o Tarpura, Police Station Dadiya, District Sikar (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14225/2026
CNR: RJHC020868292026 | URN: CRLMB / 26232U / 2026

Ravindra S/o Shri Devendra Kumar, Aged About 26 Years, R/o Plot No. 142, Balaji Vihar 29, New Loha Mandi, Machera, Harmara, Police Station Harmara, District Jaipur (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.11.25
17:10:36 IST

For Petitioner(s)	:	Mr. Prince Pal Singh, Adv. Mr. Jitendra Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Anurag Sharma, Spl. PP with Mr. Anoop Meena, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/11/2026

उपरोक्त तीनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका इस एक ही आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह तीनों जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 482 बी.एन.एस.एस.** प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को पुलिस थाना **स्पेशल पुलिस स्टेशन (एस ओ जी) जिला एटीएस एवं एसओजी** पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2024 अंतर्गत धारा **419, 420, 120बी** भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4, 5, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम, 1992 व धारा 66–डी आई टी एक्ट में अग्रिम जमानत दिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थी/अभियुक्ता आरती के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उसके विरूद्ध अनुसंधान के दौरान कोई साक्ष्य नहीं आई है, उसके द्वारा लिखित परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की गयी थी, लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, जब तक कोई सुदृढ आधार नहीं हो, उसे गिरफ्तार किये जाने से उसके विधिक अधिकारों का हनन हो सकता है, अभियुक्ता महिला है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण विकास व रवीन्द्र के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध से

जोडने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, अभियुक्त विकास की पत्नी मोनिका, जिसका कि उप–निरीक्षक पुलिस में चयन हुआ था, की नियमित जमानत स्वीकार हो चुकी है। मात्र संदेह के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त विकास को आरोपित अपराध से जोडा जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्त रवीन्द्र के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यद्यपि वह चयनित अभ्यर्थी है, लेकिन योग्यता के आधार पर नियुक्त हुआ है, कथित कॉल डिटेल स्वाभाविक संपर्क है, क्योंकि अभियुक्त रवीन्द्र व अन्य सह अभियुक्त लंबे समय तक पडोसी रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में तीनों अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

जहां तक अभियुक्ता आरती का प्रश्न है, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का निवेदन है कि उसके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधानों का प्रयोग कर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी थी। उसके द्वारा पूर्व में भी अनुसंधान के कोई उचित आधार नहीं होने का अभिकथन लेते हुए धारा 528 बी एन एस एस के तहत प्रधान पीठ के समक्ष S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 4828/2026 प्रस्तुत की गयी थी, जो विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्ता के विरूद्ध अनुसंधान हेतु पर्याप्त आधार है।

जहां तक अभियुक्त रवीन्द्र का प्रश्न है, विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का निवेदन है कि वह अनुचित साधनों से उपरोक्त परीक्षा के माध्यम से चयनित हुआ है, सह अभियुक्त से सुसंगत समय में उसका संपर्क रहा है जिसकी पुष्टि कॉल डिटेल से होती है। अंत में तीनों ही अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष होने व अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह तीनों अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

हस्तगत मामले में तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर उसे दूषित करने का प्रयास किया गया। अभियुक्ता आरती के विरूद्ध अनुसंधान के दौरान यह आरोप प्रकट हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबुलाल कटारा के माध्यम से परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करवाकर उसे अपने जीजा पुरषोत्तम से पढवाकर व हल करवाकर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की गयी। अभियुक्ता आरती की ओर से धारा 528 बी एन एस एस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त कराने हेतु याचिका प्रस्तुत की, जो खारिज हो चुकी है। अतः अभियुक्ता से अभिरक्षात्मक अनुसंधान होना शेष है।

जहां तक अभियुक्त विकास का प्रश्न है, उसके विरूद्ध यह आरोप रहा है कि उसने अपनी पत्नी मोनिका को ब्ल्यू टूथ के माध्यम से नकल कराकर उपरोक्त परीक्षा में चयनित करवाया गया था। यद्यपि अभियुक्ता मोनिका की छह माह पश्चात नियमित जमानत स्वीकार हो चुकी है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में मोनिका के पति विकास की महत्वपूर्ण भूमिका बतायी गयी है, उनके सूत्रों व साक्ष्य से गहन अनुसंधान होना शेष है।

अभियुक्त रवीन्द्र पर भी उपरोक्त परीक्षा में उपरोक्त आधारों पर परीक्षा प्रश्न पत्रों को अनुचित रूप से हल करवाकर चयन होने का आरोप है, जिन अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया है, उनसे सतत रूप से अभियुक्तगण का संपर्क होना प्रकट हुआ है। अभियुक्त पक्ष की ओर से पडोसी होने का जो बचाव लिया गया है, वह इस स्टेज पर सुसंगत नहीं है। ऐसे गंभीर मामलों में गहन व निष्पक्ष अनुसंधान आवश्यक है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि सह अभियुक्ता प्रियंका की अग्रिम जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार

की गयी है, लेकिन मात्र इस आधार पर अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। सभी अभियुक्तगण की पृथक पृथक भूमिका विचार योग्य है।

तीनों ही अभियुक्तगण निर्दोष हो और उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया जा रहा हो और उनसे अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी स्थिति नहीं है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति एवं अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह तीनों अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

परिणामतः अभियुक्तगण **आरती पुत्री छगनलाल, विकास पुत्र विद्याधर खेदर व रवीन्द्र पुत्र देवेन्द्र कुमार** की ओर से **धारा 482 बी.एन.एस.एस.** के तहत प्रस्तुत यह तीनों द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/11-14-15/Murari Lal Sharma